झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः 3/पी०एम०सी० (प्रा० स्वी०)–112/2013.../राँची, दिनांकः..................

प्रेषकः

ई॰ शिवा नन्द राय,
संयुक्त सचिव (अभि॰)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषयः जल संसाधन विभाग के अधीन मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची प्रक्षेत्राधीन, लघु सिंचाई प्रमंडल कोडरमा अंतर्गत (जिला–कोडरमा, प्रखंड–मरकच्चों) देवीपूर मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु रू॰ 347.328 लाख (तीन करोड़ सैतालीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2 जल संसाधन विभाग के अधीन मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची प्रक्षेत्राधीन, लघु सिंचाई प्रमंडल कोडरमा अंतर्गत (जिला–कोडरमा, प्रखंड–मरकच्चों) देवीपूर मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु रू॰ 347.328 लाख (तीन करोड़ सैतालीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3 वर्त्तमान पुनरीक्षित प्राक्कलन के अंतर्गत इस योजना राशि की वृद्धि का मुख्य कारण भूअर्जन की राशि एंव अनुसूचित दर में बढ़ोतरी है।

पूर्व के प्राक्कलन में B-Land मद में अस्थाई भूअर्जन हेतु रू0 2.50 लाख का प्रावधान किया गया था परन्तु पुनरीक्षित प्राक्कलन में 24.80 हे0 क्षेत्र (14.96 रैयती भूमि एंव 9.84 हे0 Protected forest) भूमि में भूर्जन हेतु रू0 82.00 लाख का प्रावधान किया गया शेष मदो में वृद्वि अनुसूचित दरो में वृद्वि के कारण उत्पन्न हुआ है।

4 विषयांकित योजना से कुल 225 हे० (खरीफ–190 हे० एंव रब्बी–30 हे० एवं गरमा–5 हे०) सिंचन क्षमता का सृजन होगा। योजना का इंसीडेस ऑफ कॉस्ट रू० 1.828 लाख प्रति हे० आक्किलत है। योजना का B.C Ratio @ 10% Interest 1.32 है।

5 इस योजना में Construction of Earthen Dam, Head Regulator, Spillway and Distribution Channel with Canal इत्यादि का प्रावधान है।

6 इस कार्य अंतर्गत पड़ने वाले वन भूमि के अपयोजन के उपरांत ही वन भूमि क्षेत्र में कार्य कराया जाएगा।

7 इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ कर वर्ष 2015–16 में पूर्ण किया जाना है।

8 इस पर होने वाला व्यय की राशि ''बजट शीर्ष–4702–लघु सिंचाई योजना पर पूंजीगत परिव्य–101–सतही जल–19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण ''अंतर्गत भारित होगा।

9 इस कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल कोडरमा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें एंव मुख्य अभियंता, लघु सिंचाइ राँची नियंत्रण पदाधिकारी होगें।

10 इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11 प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

12 इस कार्य के राशि की निकासी कोडरमा कोषागार से की जाएगी।

13 झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

14 किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

15 स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16 इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी० (प्रा० स्वी०)–112/2013.../राँची, दिनांकः................

प्रतिलिपिः वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनुः–यथोक्त।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी० (प्रा० स्वी०)–112/2013.../राँची, दिनांकः................

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनुः–यथोक्त।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी० (प्रा० स्वी०)–112/2013.../राँची, दिनांकः................

प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/ अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, हजारीबाग/कार्यपालक अभिंयता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कोरडमा प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी० (प्रा० स्वी०)–112/2013.../राँची, दिनांकः................

प्रतिलिपिः आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी० (प्रा० स्वी०)–112/2013.../राँची, दिनांकः................

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी० (प्रा० स्वी०)–112/201303/14-155 स्वी.**/राँची, दिनांकः**02.06.2014

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)